खंड . 3 अंक . 2 सितम्बर 2020

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

विषय-वस्तु

- बाढ़ की स्थिति और बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बैठक
- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा निरीक्षण
- आईएनसीआईडी की बैठक
- सलाहकार समिति की 146वीं बैठक
- जल संसाधन आकलन और एनडबल्यूए की गतिविधियों पर प्रस्तुति
- डगमरा बहुउद्देशीय एचईपी की संशोधित लेआउट योजना
- दिल्ली ड्रेनेज सिस्टम पर टीईसी
- 100 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई लक्ष्य के लिए एकीकृत तंत्र
- सीडब्लूएमए / सीडब्लूआरसी की बैठकें
- गोदावरी बेसिन की परियोजनाओं की स्थिति
- गांधी सागर बांध के बांध सुरक्षा उपायों पर व्यवहार्यता रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बैठक
- एनसीएसडीपी की 36वीं बैठक
- मॉडल फ्लड प्लेन ज़ोनिंग बिल की समीक्षा के लिए समिति की बैठक
- खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के सर्ज शाफ्ट ट्रांसिएंट एनालिसिस की वेटिंग
- पोलावरम परियोजना - जल संसाधन विकास
- डीपीआर तैयारियों के लिए झारखंड परियोजनाओं की समीक्षा बैठक
- डेटा कॉर्नर
- पर्यावरण आर्थिक लेखांकन पर अंतर-मंत्रालयी समूह
- ड्रिप
- एनडबल्यूडीए की गवर्निंग बाडी की 67वीं बैठक
- देश में बाढ़ की स्थिति
- जल क्षेत्र समाचार
- गुजरात में सीएमआईएस के लिए पीएमसी की बैठक
- माह के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियाँ
- निवेश मंजूरी समिति की बैठक
- बाढ़ / भूस्खलन के मद्देनजर आईएमसीटी का गठन
- हीराकुंड बांध की अतिरिक्त बाढ़ को निस्तारित करने के लिए विकल्प
- एनईआईडी- I, के.ज.आ. में बनाया गया वर्षा जल संचयन / भूजल पुनर्भरण तालाब
- अंश सिंचाई नहर का प्रबोधन दौरा
- उझ एमपीपी की दूसरी सार्वजनिक सुनवाई
- शोंगटॉन्ग-करचम एचईपी
- मुल्लापेरियार बांध के लिए रूल कर्व
- पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश
- इतिहास-तुंगभद्रा परियोजना
- वात्रक जलाशय के अवसादन मूल्यांकन का अध्ययन
- राज्यों से समाचार
- जलक्षेत्र - मिथक एवं तथ्य
- दीर्घा

आर.के. जैन
अध्यक्ष, के.ज.आ.

संदेश

देश में अगस्त माह में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली. बाढ़ की स्थिति के कारण कई राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 10.08.2020 को देश के बाढ़ प्रभावित राज्यों जैसे असम, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की गई. इस बैठक में सचिव, ज.सं.न.वि. एवं ग.सं.वि. और मैं वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे. माननीय प्रधानमंत्री ने के.ज.आ. और आईएमडी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और रिमोट सेंसिंग, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने के लिए भी इन पूर्व चेतावनी एजेंसियों का आह्वान किया. दक्षिण पश्चिम मानसून—2020 के दौरान मौके पर जाकर बाढ़/भूस्खलन की स्थिति का आकलन करने के लिए अगस्त के महीने में गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न अंतर—मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) का गठन किया गया. के.ज.आ. के कुछ अधिकारियों को उन आईएमसीटी में ज.सं.न.वि. एवं ग.सं.वि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किया गया.

भारत बहुत लंबे समय से बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है. बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न संरचनात्मक और गैर—संरचनात्मक उपाय विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं. बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण को बाढ़ प्रबंधन के लिए एक प्रभावी गैर—संरचनात्मक उपाय के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों या फ्रीक्वेंसी और प्रायिकता (प्रोबेबिलिटी) स्तरों की बाढ़ से प्रभावित होने वाले जोन या क्षेत्रों का सीमांकन करना है और इनमें स्वीकार्य विकास के प्रकारों का निर्धारण करना है. बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण के लिए केंद्रीय जल आयोग ने 1975 में एक माडल विधेयक तैयार किया था, जो तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को उपयुक्त कानून बनाने की सलाह के साथ परिचालित किया गया था. केवल कुछ राज्यों जैसे मणिपुर, राजस्थान, तत्कालीन जम्मू व कश्मीर राज्य और उत्तराखंड ने इस संबंध में विधेयक अधिनियमित किए, हालांकि सभी प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका. अन्य राज्यों जिनमें अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि ने विभिन्न कारणों से कानून बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. हाल ही में ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. ने के.ज.आ. द्वारा तैयार किए गए माडल फ्लड प्लेन जोनिंग विधेयक की समीक्षा करने के लिए सदस्य(नदी प्रबन्धन), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है.

ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की निवेश मंजूरी समिति की 13वीं बैठक सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में दिनांक 07.08.2020 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई. इस बैठक में कुल 10 परियोजनाओं/योजनाओं पर विचार किया गया और निवेश मंजूरी के लिए संस्तुति की गई. माह के दौरान सिंचाई की बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति द्वारा 14.08.2020 को आयोजित 146वीं बैठक में मणिपुर राज्य की दो बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को स्वीकार किया गया.

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप—समिति ने 20.08.2020 को केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) का निरीक्षण किया. माननीय संयोजिका प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने केंद्रीय जल आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और इसकी उपलब्धियों के लिए आयोग की प्रशंसा की.

भारत अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (आईसीआईडी) के संस्थापक सदस्यों में से एक था जिसने वैश्विक स्तर पर जल संसाधनों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. डा. ए.एन. खोसला जो बाद में ओडिशा के गवर्नर बने के.ज.आ. (तत्कालीन सीडब्ल्यूआईएनसी) और आईसीआईडी दोनों के संस्थापक अध्यक्ष थे. पिछले वर्ष मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल विकास समिति (आईएनसीआईडी) का पुनर्गठन किया था जो आईसीआईडी और इसकी अन्य निकायों में आईसीआईडी द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करती है. पुनर्गठित आईएनसीआईडी की पहली बैठक 06.08.2020 को हुई जिसमें भविष्य में किए जाने वाली कार्रवाई के बारे में चर्चा की गई.

के.ज.आ. के सभी कार्यालयों ने स्वतंत्रता दिवस को बड़े उत्साह और जोश के मनाया जिसकी झलक सूचना पत्र के संबंधित भाग में प्रस्तुत की गई है.

राजेन्द्र

माननीय राज्यमंत्री द्वारा सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना पर 20.08.2020 को एक बैठक ली गई . बैठक में सदस्य(डी एंड आर), मुख्य अभियंता, डिजाइन(एनएंडडब्ल्यू) और निदेशक, सीएमडीडी(एन एंड डब्ल्यू) ने भाग लिया.

तुंगभद्रा बांध का स्पिलवे और स्लूइस

देश में बाढ़ की स्थिति और बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बैठक

माननीय प्रधानमंत्री ने 10.08.2020 को देश के बाढ़ प्रभावित राज्यों जैसे कि असम, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा की. इस बैठक में सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. और अध्यक्ष, के.ज.आ. ने नार्थ ब्लाक में गृह मंत्रालय के समिति कक्ष में उपलब्ध वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से भाग लिया. गृह सचिव ने संबंधित राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के साथ चर्चा से पूर्व, देश में बाढ़ की स्थिति पर संक्षिप्त जानकारी दी. माननीय प्रधानमंत्री ने के.ज.आ. और आईएमडी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और इन प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियों को बाढ़ का पूर्वानुमान करने के लिए रिमोट सेंसिंग, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने का आह्वान किया.

बाढ़ स्थिति की समीक्षा माननीय मंत्री, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा भी 10.08.2020 को की गई जिसमें अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य (आरएम), के.ज.आ. और निदेशक (एफएफएम) ने मौजूदा बाढ़ की स्थिति पर प्रस्तुति दी.

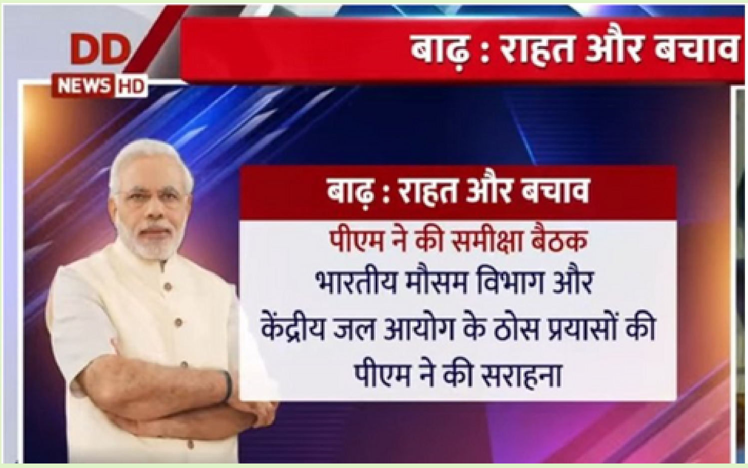

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 20.08.2020 को केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) का राजभाषाई निरीक्षण किया गया. श्री राजेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, श्री मोती लाल, संयुक्त सचिव, केंद्रीय जल आयोग तथा श्रीमती रजिंदर पाल, उप निदेशक (रा. भा.) समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए. समिति की संयोजक महोदया प्रो. रीता बहुगुणा तथा समिति के अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग तथा राजभाषा अधिकारियों से मुख्यालय में राजभाषा नीति व नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रश्न किए, जिनके संतोषजनक उत्तर दिए गए. माननीय संयोजक महोदया ने केंद्रीय जल आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा प्रशंसनीय उपलब्धियों के लिए आयोग की सराहना की.

आईएनसीआईडी की बैठक

श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति (आईएनसीआईडी) ने 06.08.2020 को आईएनसीआईडी समिति के सदस्यों की एक आभासी बैठक ली. बैठक में कृषि मंत्रालय, आईसीएआर, आईसीआईडी, सीएडीडब्ल्यूएम, जल शक्ति मंत्रालय, सीजीडब्ल्यूबी, एनआईएच, सीडब्ल्यूपीआरएस, जीईआरआई गुजरात, (राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब) राज्यों के सिंचाई विभाग/जल संसाधन विभाग, वाल्मी (धारवाड़, कर्नाटक) एवं आईआईटी (रुड़की) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. नए गठित आईएनसीआईडी के लिए भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा की गई. यह भी चर्चा की गई कि वाट्सेव (वाटर सेविंग अवार्ड) और डब्लूएचआईएस अवार्ड (वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स) जैसी विभिन्न पुरस्कार श्रेणी के अन्तर्गत भारत से अधिक नामांकन होने चाहिए. श्री एस.के. हलधर, सदस्य (डब्लूपीएंडपी), के.ज.आ. और श्री ए.बी. पंडया, महासचिव, आईसीआईडी ने क्रमश: आईएनसीआईडी और आईसीआईडी पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी.

आईएनसीआईडी के कार्य इस प्रकार हैं :

- सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण प्रथाओं में सुधार करने के लिए इंजीनियरिंग, कृषि, आर्थिक, पर्यावरण, कानूनी और सामाजिक विज्ञान प्रौद्योगिकी के उचित अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना.

- सिंचाई और जल निकासी के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना.

- स्थायी भागीदारी सिंचाई प्रबंधन, नहर सिंचित कमान में भूजल का संयोजित उपयोग, कृषि में अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और आयतन के आधार पर सिंचाई सेवा शुल्क लगाने सहित सतत सिंचित कृषि से संबंधित मामलों को स्पष्ट करना और समाधान करना.

- देश की प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकताओं की पहचान करना और उपयुक्त देशों/संगठनों से प्रौद्योगिकी के आयात का सुझाव देना.

- देश में सिंचाई और जल निकासी विकास की प्रौद्योगिकियों से संबंधित सूचना प्रसार की सुविधा के लिए कार्यवाही, रिपोर्ट, बुलेटिन और सूचना पत्र प्रकाशित करना.

- सिंचाई और जल निकासी के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उपायों का प्रस्ताव करना.

- सिंचाई और जल निकासी के क्षेत्र में सूचना के प्रसार हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा अध्ययन दौरों का आयोजन करना.

- आईसीआईडी द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आईसीआईडी और उसके विभिन्न निकायों में भारत का प्रतिनिधित्व करना.

- देश के तकनीकी/वैज्ञानिक संस्थानों, गैर—सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों के साथ सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के सहयोग को बढ़ावा देना.

- क्षेत्र की मांगों के अनुसार विशेषज्ञ सेवाओं/कार्यों की सुविधा मुहैया करवाने के लिए सिंचाई और जल निकासी के क्षेत्र में देश में विशेषज्ञों की सूची बनाना.

विश्व धरोहर सिंचाई संरचना (डब्ल्यूएचआईएस) 100 से अधिक वर्ष पुरानी संरचनाएं हैं जो कार्यात्मक रूप से वर्तमान या पिछले कृषि जल प्रबंधन गतिविधि से संबंधित हैं. इस मान्यता का उद्देश्य दुनियार भर की सभ्यता में सिंचाई में विकास का पता लगाना व समझना तथा ऐसी संरचनाओं की रक्षा और संरक्षण करना है. वर्तमान में तेलंगाना राज्य की दो संरचनाये डब्ल्यूएचआइएस में शामिल की गईं हैं, जो नामत: निम्नानुसार हैं:—

- सदरमट एनीकट
- बड़ा टैंक (पेड्डा चेरुवु)

के.ज.आ. में आईएनसीआईडी सचिवालय ने विश्व धरोहर सिंचाई संरचना (डब्लूएचआईएस) के रूप में मालवान तालुक, सिन्धुगढ़ जिला, महाराष्ट्र में स्थित धामपुर झील को शामिल करने के लिए सजग नागरिक मंच से नामांकन का अनुरोध प्राप्त किया था. इस झील का निर्माण मृदा—शैल बांध तैयार कर वर्ष 1530 (लगभग 500 वर्ष पूर्व) में किया गया था और यह अब तक परिचालित है. इस योजना की तथ्यात्मक सत्यापन मुख्य अभियंता, एमएसओ, बेंगलुरू द्वारा किया गया. अध्यक्ष, के.ज.आ. (अध्यक्ष, आईएनसीआईडी) ने नामांकन की मंजूरी दे दी है और सदस्य सचिव (आईएनसीआईडी) द्वारा आईसीआईडी को सिफारिश की गई है.

सलाहकार समिति की 146वीं बैठक

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति की 146वीं बैठक दिनांक 14.08.2020 को श्री यू. पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से सम्पन्न हुई. इस बैठक में, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., के.ज.आ., सीईए, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा नीति आयोग से सलाहकार समिति के सदस्य शामिल हुए. के.ज.आ. से अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), सदस्य (आरएम), मुख्य अभियंता (पीएओ) और मुख्य अभियंता (एफएमओ) बैठक में शामिल हुए.

इस बैठक में मणिपुर की दो बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर विचार किया गया. श्रीमती जसिनथा लजारस, आयुक्त (जल संसाधन), मणिपुर सरकार ने इन योजनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी. डा. राजेश कुमार, मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार के साथ श्री जी. रोबिन्द्रो शर्मा, इंजीनियर—इन—चीफ तथा जल संसाधन विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल हुए. विस्तृत विचार—विमर्श के पश्चात मणिपुर की दो बाढ़ नियंत्रण योजना समिति द्वारा स्वीकार की गई.

क्रम सं.	योजना	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में) एवं मूल्य स्तर	लाभ
1.	मणिपुर के लोकटक उप–बेसिन में नदियों/धाराओं और जल निकास पर बाढ़ प्रबंधन व नियंत्रण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण	62.14 (2017)	लाभान्वित क्षेत्र – 10000 है. लाभान्वित आबादी – 55000
2.	मणिपुर नदी के बेसिन में नदियों पर बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधी कार्य	460.426 (2017)	लाभान्वित क्षेत्र – 25000 है. लाभान्वित आबादी – 250000

माननीय मंत्री को जल संसाधन मूल्यांकन और एनडब्ल्यूए की गतिविधियों पर प्रस्तुति

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के समक्ष के.ज.आ. द्वारा 'अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से जल संसाधनों के पुन: आकलन' और 'एनडब्ल्यूए, पुणे की गतिविधियों' का विडियो-कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 23.08.2020 को प्रस्तुतिकरण दिया गया.

देश में औसत वार्षिक जल संसाधनों का आकलन करने के लिए ''भारत में अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करके नदी घाटियों की जल उपलब्धता का पुन: आकलन'' अध्ययन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर (एनआरएससी), हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से किया गया है. देश की 20 बेसिनों में औसत वार्षिक जल संसाधन का आकलन 1997.20 अरब घन मीटर किया गया है. इस अध्ययन में पूरी तरह से विज्ञान आधारित अत्याधुनिक माडलिंग उपकरण और उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया है. श्री सुनील कुमार, निदेशक, के.ज.आ. द्वारा दी गई प्रस्तुति के दौरान अध्ययन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया.

श्री अशोक कुमार खरया, मुख्य अभियंता, एनडब्ल्यूए, के.ज.आ., पुणे ने ''जल क्षेत्र के पेशेवरों के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन में राष्ट्रीय जल अकादमी की भूमिका'' पर एक प्रस्तुति दी. उन्होंने आईटी समाधान/वीडियो—कान्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हुए एनडब्ल्यूए के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच में जबरदस्त सुधार पर प्रकाश डाला. माननीय मंत्री ने स्कूली शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनडब्ल्यूए, पुणे के प्रयासों की सराहना की और उनकी प्रतिक्रिया का विवरण मांगा.

बिहार की डगमरा बहुउद्देशीय जलविद्युत परियोजना (130 मे.वा.), संशोधित लेआउट योजना

बिहार राज्य में कोसी नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए डगमारा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना को रन ऑफ दी रिवर परियोजना के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है. यह बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और अन्य लाभों के लिए कोसी नदी में जल प्रवाह के उपयोग की परिकल्पना करता है. दिनांक 10.08.2020 को परियोजना डेवलपर (BHPC की ओर से मेसर्स रोडिक कंसल्टेंट) की डिजाइन टीम के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना नियोजन के मुख्य मुद्दे अर्थात् तलछट प्रबंधन, बिजलीघर में कम मृदा वहन क्षमता, एकल बनाम जुड़वां पॉवर हाउस आदि शामिल हैं, पर चर्चा की गई.

सदस्य(नदी प्रबन्धन) की अध्यक्षता में दिल्ली जल निकासी प्रणाली पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति

आईआईटी, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के लिए अब तक की गई प्रगति की समीक्षा के लिए सदस्य(नदी प्रबन्धन) के.ज.आ. की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञ समिति की तीसरी बैठक 20.08.2020 को विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई.

इस बैठक में, सभी भागीदारों को सख्त अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं :—

1. आईआईटी दिल्ली द्वारा रिपोर्ट को तैयार करने में जिन नालों के डेटा का प्रयोग किया गया है इनके 10-20% डेटा की जमीनी सत्यापन के लिए एक माह का समय.
2. प्रत्येक विभाग को भू-स्थानिक (जियोस्पैशियल) दिल्ली लिमिटेड (जीएसडीएल) दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए गए जीआईएस पोर्टल का उपयोग करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा और इसके लिए युजर आईडी और पासवर्ड जीएसडीएल द्वारा उचित प्रशिक्षण के साथ उपलब्ध कराया जाएगा.सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएफसीडी) द्वारा आईआईटी रिपोर्ट की साफ्ट प्रति एक बार पुन: उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
3.इस मुद्दे को आईएफसीडी द्वारा उच्चतम स्तर पर उठाया जाना चाहिए क्योंकि आईएफसीडी के निरंतर अनुनय के बावजूद और अध्यक्ष, टीईसी के निर्देश के बाद भी अधिकांश विभागों ने रिपोर्ट को ठीक से पढ़ने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया है और न ही उपलब्ध परिदृश्य पर किसी भी प्रमाणिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए फील्ड साइट पर 10—20 प्रतिशत डेटा को सत्यापित करने हेतु कार्य किया गया है जिससे कि रिपोर्ट की तुलना जमीनी सत्यता से की जा सके.
4. लक्ष्य, ठोस और कार्यान्वयन योग्य होना चाहिए. इसके अलावा यह कार्य ढांचा स्वीकार्य नहीं है इसलिए आईआईटी को साध्य, व्यवहारिक समाधान प्रदान करना है जिसके लिए आईआईटी को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा चिन्हित 330 से अधिक -जल भराव वाले हाटस्पाट्स में से कम से 50 हाटस्पाटस जैसे कि हवाई अड्डे, अस्पताल, मिंटो ब्रिज, प्रहलादपुर अंडरपास, भैरों मार्ग और अन्य उप—मार्गों इत्यादि के लिए व्यवहारिक उपाय प्रदान कराने हैं ताकि आईआईटी रिपोर्ट से तालमेल बिठाते हुए जल जमाव की समस्या के प्रभाव और स्थल पर व्यावहारिक समाधान पर कार्य किया जा सके. जमीनी कार्यान्वयन के लिए जेनेरिक रिपोर्ट व्यवहारिक नहीं है.
5. आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में प्रत्येक क्षेत्र में सभी परिदृश्यों के लिए मौजूदा बाढ़ और बाढ़ में कमी, समग्र रूप में, सारणीबद्ध रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि यह आसानी से लागू और व्यवहारिक हो.
6. आईआईटी दिल्ली से कहा गया कि वह अपनी रिपोर्ट में सही जबाबों और टिप्पणियों में अपने जवाबों को व्यवहारिक समाधानों के साथ समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करे ताकि सरकार को सिफारिश करने अथवा न करने से पूर्व रिपोर्ट के कार्यान्वयन वाले भाग पर अंतिम निर्णय किया जा सके.
7. आईएफसीडी, एनसीटी, दिल्ली सरकार को माडल के परिणामों के वास्तविक सत्यापन और कार्यान्वयन योग्य सिफारिशों को तैयार करने के लिए उपरोक्त टिप्पणियों के बारे में आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए.

100 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई लक्ष्य के लिए एकीकृत तंत्र

उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ—साथ जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में एक साथ सूक्ष्म सिंचाई के तहत 100 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि लाने का लक्ष्य रखा गया है.

अतिरिक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 100 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकीकृत तंत्र के संदर्भ पर चर्चा करने के लिए 04.08.2020 को संयोजित की गई. श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ), के.ज.आ. ने बैठक में भाग लिया.

सीडब्ल्यूएमए/सीडब्ल्यूआरसी की बैठकें

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की 8वीं बैठक

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की 8वीं बैठक श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूएमए की अध्यक्षता में 28.08.2020 को विडिया कान्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई. इसमे जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सभी शामिल राज्यों नामत: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद थे और बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई.

कावेरी बेसिन में जल—मौसम संबंधी स्थिति (जैसा कि आईएमडी, के.ज.आ. और शामिल राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर सीडब्ल्यूआरसी की 33वीं बैठक में समीक्षा की गई) बैठक के दौरान प्रस्तुत किए गए विवरण नीचे दिए गए हैं :

आईएमडी के वर्षा के आंकड़ों के अनुसार 26.08.2020 तक दक्षिण—पश्चिम मानसून में कावेरी बेसिन में सामान्य से 31% अधिक वर्षा हुई जिसे सामान्य श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है.

बैठक के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के 8 नामित जलाशयों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई

- दिनांक 25.08.2020 को उपलब्ध सक्रिय भंडारण.
- दिनांक 25.08.2019 को सक्रिय भंडारण.
- 25 अगस्त तक पिछले 30 वर्षों का औसत भंडारण (केरल जलाशय के मामले में 14 वर्ष)
- जलाशयों में कुल इनफ्लो और आउटफ्लो

कुछ विवरणों का संक्षेप नीचे तालिकाओं में दिया गया है : **(टीएमसी में)**

क्रम सं.	राज्यों व बांध की संख्या	25.08.2020 तक उपलब्ध सक्रिय भंडारण	25.06.2019 तक सक्रिय भंडारण	25 अगस्त तक ऐतिहासिक औसत सक्रिय भंडारण
1	कर्नाटक (4)	103.508	103.673	87.116 (30 वर्ष)
2	तमिलनाडु (3)	93.705	115.712	75.327 (30 वर्ष)
3	केरल (1)	5.147	5.591	5.385 (14 वर्ष)

क्रम सं.	राज्य	01.06.2020 से 25.08.2020 तक कुल इनफ्लो (टीएमसी)	01.06.2019 से 25.08.2019 तक कुल इनफ्लो (टीएमसी)	25 अगस्त तक 30 वर्षों में औसतन कुल इनफ्लो
1.	कर्नाटक (4)	164.842	203.350	199.821

के.ज.आ. के अनुसार 2020—21 के वर्तमान वर्ष के दौरान अर्थात 01.06.2020 से 25.08.2020 तक बिलिगुंडुलु में कुल प्रवाह 72.133 टीएमसी था. यह भी नोट किया गया कि इस अवधि के दौरान कराईकल क्षेत्र में के.ज.आ. की 7 जीएडंडी साइटों पर कुल प्रवाह 1.634 टीएमसी था. बैठक के दौरान यह नोट किया गया कि के.ज.आ. के बिलिगुंडुलु साइट पर पिछले कुछ दिनों के दौरान रोजाना का प्रवाह लगभग 0.5 टीएमसी था और यदि यह मान लिया जाए कि यही प्रवृति माह के अंत तक जारी रहेगी तो 01.06.2020 से 31.08.2020 तक बिलिगुंडुलु पर कुल प्रवाह लगभग 75 टीएमसी के आस पास होगा, जो सामान्य वर्ष के दौरान बिलिगुंडुलु में सुनिश्चित किए जाने वाले प्रवाह का लगभग 87 प्रतिशत है.

कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को पानी छोड़ने के मुद्दे पर चर्चा की गई. तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने कहा कि आईएमडी रिकॉर्ड से पता चलता है कि बिलिगुंडुलु के अपस्ट्रीम क्षेत्र में 25.08.2020 तक वर्षा सामान्य से अधिक है और तदनुसार, यह प्राधिकरण द्वारा इसकी पहली बैठक में निर्धारित योजना के अनुसार बिलिगुंडुलु में प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक राज्य को निर्देशित जाए. कर्नाटक के सदस्य ने इस संबंध में कहा कि कर्नाटक के चार निर्दिष्ट जलाशयों में इनफ्लो सामान्य से कम है व इन जलाशयों पर जल में कमी देखी जा रही है. हालांकि, कर्नाटक ने संकट की स्थिति के दौरान जो प्रवाह सुनिश्चित किया जाना था, उससे अधिक सुनिश्चित किया है.

इस संबंध में अध्यक्ष ने कहा कि लघु सिंचाई परियोजनाओं और एनीकट चैनलों के डेटा के अभाव में बेसिन में पानी की उपलब्धता की स्थिति को सही ढंग से समझना मुश्किल है. इसलिए, उन्होंने कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधियों से 15.07.2020 तक, इस तरह की परियोजनाओं के संबंध में शुरू में कम से कम निम्नलिखित डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि ऐसी परियोजनाओं द्वारा पानी के उपयोग के बारे में कम से कम कुछ जानकारी हो सके :

- ऐसी परियोजनाओं का नाम/संख्या/स्थान
- कमांड क्षेत्र
- फसल पैटर्न
- नियोजित जल उपयोग

उपरोक्त के अलावा मासिक आधार पर ऐसी परियोजना से वास्तविक उपयोग प्रस्तुत करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिसके लिए सीडब्ल्यूआरसी को जल्द से जल्द एक तंत्र की सिफारिश करनी चाहिए.

कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को पानी छोड़ने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और यह देखा गया कि 25.08.2020 को मेट्टूर बांध में सक्रिय भंडारण 60.672 टीएमसी था. अध्यक्ष द्वारा किए गए एक प्रश्न पर तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने बताया कि वर्तमान में मेट्टूर बांध से निकलने वाली सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता लगभग 1.56 टीएमसी प्रतिदिन (लगभग 18000 क्यूसेक) है. यह बताया गया कि सिंचाई के लिए छोड़े जाने वाले जल के अलावा, मेट्टूर बांध से घरेलू/औद्योगिक पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पानी छोड़ा जाता है. वर्तमान में मेट्टूर बांध में उपलब्ध सक्रिय भंडारण और वर्तमान में बिलिगुंडुलु में देखे जा रहे दैनिक प्रवाह की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया कि तमिलनाडु राज्य सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए मेट्टूर बांध से, एक महीने या उससे अधिक समय के लिए अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकता है.

विस्तृत चर्चा करने पर यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित राज्य बेसिन में जल मौसम संबंधी स्थितियों की बारीकी से निगरानी करेंगे. इसके अलावा प्राधिकरण ने कावेरी बेसिन में 8 जलाशयों के लिए डेटा की आवश्यकता और नियम के बारे में विचार —विमर्श किया. केरल के बाणासुरसागर जलाशय के लिए रूल कर्व को केरल के सदस्य की प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ साझा किया गया. अन्य जलाशयों हेतु राज्यों के सदस्यों से संबंधित जलाशय के लिए रूल कर्व प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया. यदि यह उपलब्ध नहीं है तो 15.09.2020 तक निम्नलिखित डेटा को सीडब्ल्यूएमए को उपलब्ध कराया जाए जिससे कि रूल कर्व बनाए जा सकें :

- 10 दैनिक/मासिक इनफ्लो सिरीज,
- 10 दैनिक/मासिक अनुसूचित मांग
- जलाशयों से 10 दैनिक/मासिक औसत वाष्पीकरण नुकसान
- नवीनतम इलीवेशन- एरिया कैपेसिटी टेबल.

कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की 32वीं और 33वीं बैठक

माह के दौरान कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) दो बैठकें (32वीं और 33वीं), श्री नवीन कुमार, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूआरसी की अध्यक्षता में क्रमश: 13.08.2020 और 27.08.2020 को नई दिल्ली में, आयोजित की गई. बैठकों के दौरान जल वर्ष 2020—21 के दौरान कावेरी बेसिन में जल—मौसम संबंधी स्थिति की समीक्षा की गई और जल वर्ष 2019—20 के लिए जल लेखा के मौसमी और वार्षिक रिपोर्ट मसौदा पर चर्चा की गई. मुख्य अभियंता(सीएंडएसआरओ), के.ज.आ., सीडब्ल्यूआरसी के सदस्य हैं और सीडब्ल्यूआरसी की बैठकों में, संबंधित साइटों पर के.ज.आ. के जल वैज्ञानिक प्रेक्षण, नियमित रूप से साझा किए जाते हैं.

गोदावरी बेसिन की परियोजनाओं की स्थिति

गोदावरी बेसिन में तेलंगाना की दो परियोजनाओं नामत: कालेश्वरम परियोजना और सीताराम लिफ्ट सिंचाई, चरण—1 पर चर्चा करने के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 06.08.2020 को बैठक आयोजित की गई.

सलाहकार, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और अध्यक्ष, जीआरएमबी, के.ज.आ. और जीआरएमबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आनलाइन बैठक में उपस्थित थे. यह बैठक, द्वितीय शीर्ष परिषद् की बैठक की तैयारी वाली बैठक के रूप में आयोजित की गई थी, जो 29.08.2020 (अब स्थगित) के लिए निर्धारित थी.

बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि तेलंगाना सरकार से कुछ और जानकारी के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद (केजीबीओ) व जीआरएमबी, हैदराबाद के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है.

गांधी सागर बांध के सुरक्षा उपायों पर व्यवहार्यता रिपोर्ट पर चर्चा हेतु सदस्य (डीएडंआर) की अध्यक्षता में बैठक

दिनांक 12.06.2020 को आयोजित पिछली बैठक के क्रम में डा. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर) की अध्यक्षता में एक बैठक गांधी सागर बांध के सुरक्षा उपायों पर व्यवहार्यता रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 04.08.2020 को के.ज.आ., नई दिल्ली में आयोजित की गई. इस बैठक में श्री एस.के. सिब्बल (मुख्य अभियंता, डिजाइन एनएंडडब्लू), श्री गुलशन राज (मुख्य अभियंता, डीएसओ) श्री एन.एन. राय (निदेशक, हाइड्रोलोजी (एस) निदेशालय), श्री अनिल जैन (निदेशक, तटबंध (एनएंडडब्ल्यू) निदेशालय) और के.ज.आ. के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और वर्ष 1960 में चालू किया गया था, अधिकतम 13705 क्यूमेक्स (4.84 लाख क्यूसेक) का निस्सरण (डिस्चार्ज) कर सकता है. वर्ष 2000 में के.ज.आ. द्वारा संशोधित बाढ़ डिजाइन की समीक्षा पर चर्चा की गई.

अनुशंसित पीएमएफ को समायोजित करने के लिए बाढ़ संतुलन हेतु निम्नलिखित तीन विकल्पों पर चर्चा की गई :

- परियोजना जलाशय को पहले से खाली करना.
- अतिरिक्त सुरंगों के निर्माण से 5000 क्यूमेक्स की अतिरिक्त स्पिलवे क्षमता उपलब्ध करवाना.
- बांध की ऊंचाई को 2.0 मीटर ऊपर उठाना.

भूकंपीय डिजाइन पैरामीटर पर राष्ट्रीय समिति (एनसीएसडीपी) की 36वीं बैठक

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए भूकंपीय डिजाइन पैरामीटर पर राष्ट्रीय समिति (एनसीएसडीपी) की 36वीं बैठक, डा. आर.के. गुप्ता, सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2020 को केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में आयोजित की गई.

इस बैठक में दो माइक्रो भूकंप (एमईक्यू) परियोजनाएं और एक साइट विशिष्ट परियोजना को मंजूरी दी गई. यह परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

- उमंगोट एच.ई. परियोजना, मेघालय (एमईक्यू)
- थाना प्लाउन एच.ई. परियोजना, हिमाचल प्रदेश (एमईक्यू)
- पिन्नपुरम पंप भंडारण परियोजना, आंध्र प्रदेश (साइट विशिष्ट परियोजना)

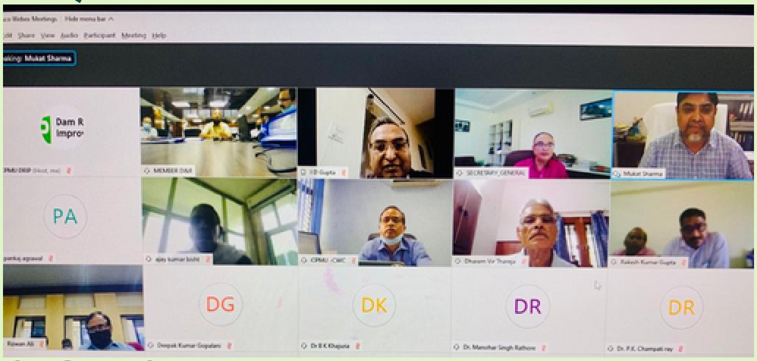

माडल बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण विधेयक की समीक्षा के लिए बैठक

केंद्रीय जल आयोग ने वर्ष 1975 में बाढ़ क्षेत्र के लिए एक मॉडल विधेयक तैयार किया जो कि तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को परिचालित किया गया था जिससे उन्हें उपयुक्त कानून बनाने के लिए सुझाव दिया गया था. इस मॉडल बिल में कई प्रावधान जैसे कि प्राधिकरण की नियुक्ति, प्राधिकरण द्वारा बाढ़ क्षेत्र का सर्वेक्षण और परिसीमन, राज्यों द्वारा बाढ़ क्षेत्र की सीमा की अधिसूचना, बाढ़ क्षेत्र के उपयोग पर निषेध या प्रतिबंध, निषेध और प्रतिबंध आदि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए उपयुक्त उपाय करना, इत्यादि शामिल थे.

केवल कुछ राज्यों नामत: मणिपुर, राजस्थान, पूर्ववर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य और उत्तराखंड ने इस संबंध में कानून बनाए. हालांकि सभी प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका. अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों वाले अन्य राज्यों नामत: यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि ने अभी तक विभिन्न कारणों से कानून बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.

अगस्त 2020 में, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. ने वर्ष 1975 में के.ज.आ. द्वारा तैयार किए गए माडल बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण विधेयक की समीक्षा करने के लिए सदस्य (नदी प्रबन्धन), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. समिति में ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., के.ज.आ., एनएमसीजी और एनआरसीडी के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व है. समिति की पहली बैठक 10.08.2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सदस्यों ने 1975 के माडल विधेयक को अद्यतन करने संबंधी अपनी सामग्री प्रदान की थी. समिति से एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दिए जाने की उम्मीद है.

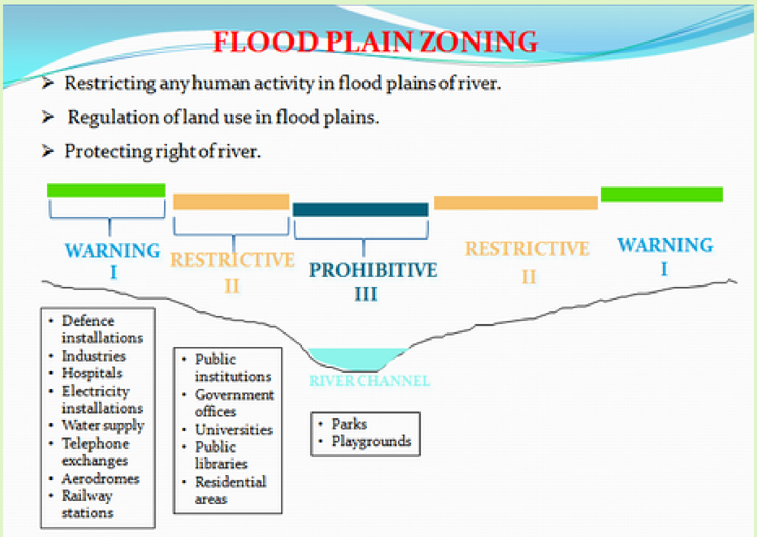

के.ज.आ. द्वारा खोंलोंगछु जल विद्युत परियोजना (600 मे.वा.) भूटान के सर्ज शाफ्ट ट्रांजिएंट एनालिसिस का पुनरीक्षण

खोलोंगछु जल विद्युत परियोजना (600 मे.वा.), एक रन आफ रिवर योजना (600 मेगावाट), भूटान के त्राशीयांग्तसे जिले में द्रंगमेछु (गोंगरीचु) के साथ संगम से ठीक पहले खोलोंगछु नदी के निचले हिस्से पर स्थित है. यह परियोजना जल संचय प्रणाली में खोलोंगछू नदी को मोड़ने के लिए 95 मीटर ऊँचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण की परिकल्पना करती है. 90 प्रतिशत आश्रित वर्ष में वार्षिक डिजाइन ऊर्जा उत्पादन 2568.88 मिलियन यूनिट अनुमानित है.

वाप्कोस द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्ज एनालिसिस के डिजाइन ज्ञापन पर थिम्पू में 04.03.2020 को आयोजित केएचईएल की तीसरी टीसीसी बैठक में चर्चा की गई जिसके दौरान यह अपेक्षा की गई थी कि डिजाइन ज्ञापन का पुनरीक्षण केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया जाएगा. इसलिए वाप्कोस के अनुरोध पर हाइड्रोलिक ट्राजिएंट एनालिसिस का पुनरीक्षण के.ज.आ. द्वारा किया जा रहा है. इसके इनपुट मापदंडों और परिणामों पर चर्चा करने के लिए 31.08.2020 को एक बैठक आयोजित की गई.

पोलावरम परियोजना — जल संसाधन विकास

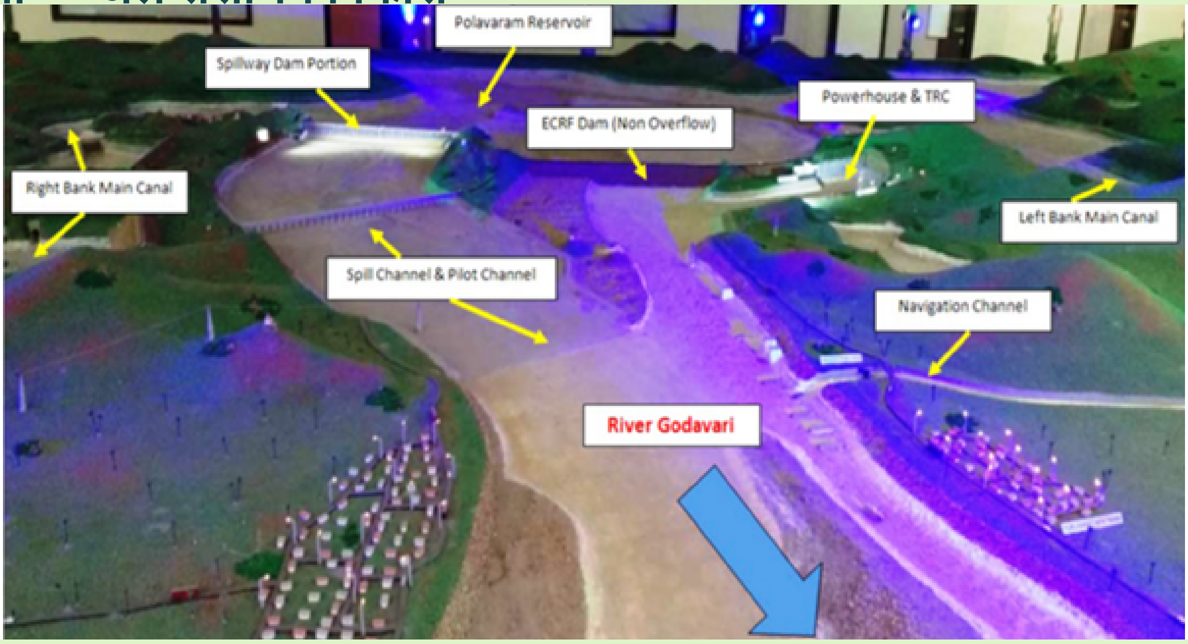

अध्यक्ष, के.ज.आ., सदस्य (डब्ल्यूपीएण्डपी), के.ज.आ. और डा. श्री निवास चोककुला, रिसर्च चेयर, जल शक्ति मंत्रालय, सेंटर फार पालिसी रिसर्च के बीच एक बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोलावरम परियोजना को एक उदाहरण के तौर पर लेते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार, के.ज.आ., पीपीए, आईसीआईडी के प्रमुख नीति निर्माताओं/विचारकों के लिए एक विचार मंथन सत्र आयोजित करने के लिए की गई जिससे कि बांधों और लोगों के बीच अंतर खंड का पता लगाने और जल संसाधन विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की कमियों का समाधान करने के लिए एक प्रकाशन निकाला जा सके.

इस विचार पर आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा करने पर भी सहमति हुई.

झारखंड की परियोजनाओं के लिए डीपीआर की तैयारियों हेतु सदस्य(डीएंडआर) द्वारा की गई समीक्षा बैठक

झारखंड में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 29.08.2017 को जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), झारखंड और केंद्रीय जल आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था. परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन संगठन (बी एंड बीबीओ), के.ज.आ. शिलांग तथा यमुना बेसिन संगठन (वाईबीओ), के.ज.आ., नई दिल्ली के अंतर्गत प्लानिंग सर्कल, के.ज.आ. फरीदाबाद के बीच वितरित की गई.

केंद्रीय जल आयोग की डिजाइन इकाईयां इन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए उपरोक्त क्षेत्रीय यूनिटों को सहयोग प्रदान कर रही हैं. इस की प्रगति की समीक्षा समय—समय पर की जा रही है. दिनांक 10.08.2020 को सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में हुई एक संयुक्त बैठक में वाईबीओ द्वारा सूचित किया गया है कि वे दिसम्बर 2020 तक चार लघु सिंचाई की डीपीआर प्रस्तुत करने का प्रयोजन रखते हैं. तदनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि 15.09.2020 तक डिज़ाइन, एनडब्ल्यूएंडएस से 2 योजनाओं (खारस्वती एवं पालेमुरा सिंचाई योजना, झारखंड) के लिए डिजाइन अध्यायों के साथ डिजाइन आरेखण उपलब्ध कराया जाए.

डेटा कार्नर

देश में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	प्रति व्यकित औसत वार्षिक जल उपलब्धता (घन मीटर /वर्ष)
2001	102.9[1]	1816[3]
2011	121.0[1]	1545[3]
2021	134.5[2]	1486[4]
2031	146.3[2]	1367[4]
2041	156.0[2]	1282[4]
2051	162.8[2]	1228[4]

1. जनगणना डेटा
2. अनुमानित जनसंख्या जैसा कि पूर्ववर्ती योजना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
3. भारत के जल संसाधन क्षमता का पुन: निर्धारण, के.ज.आ., 1993
4. स्पेस इनपुट्स का उपयोग करते हुए भारत में जल उपलब्धता का पुन: निर्धारण, के.ज.आ., 2019

पर्यावरण आर्थिक लेखांकन पर अंतर—मंत्रालयी समूह

पर्यावरण आर्थिक लेखांकन — भारत पर अंतर—मंत्रालयी समूह की आठवीं बैठक 26.08.2020 को वर्चुअल मोड के माध्यम से महानिदेशक (सामाजिक सांख्यिकी), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की अध्यक्षता में हुई. श्रीमती जीजू कुरियन, सलाहकार(आईएसओ), के.ज.आ., श्री पी. दोर्जे ग्याम्बा, निदेशक, के.ज.आ. और श्री बसुन्त कुमार, निदेशक, के.ज.आ. बैठक में शामिल हुए. बैठक में, के.ज.आ. के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि फसल भूमि और कुल बोए गए क्षेत्र हेतु वर्तमान स्रोत के अलावा जिस तरह से एनआरएससी द्वारा डेटा तैयार किया जा रहा है उसी तरह से रिमोट-सेंसिंग डेटा सेटों के उपयोग करने की सम्भावना का पता लगाया जा सकता है ताकि अद्यतन अनुमान उपलब्ध कराया जा सके.

डीआरआईपी

डीआरआईपी की 25वीं तकनीकी समिति बैठक

बांध पुर्नवास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) की तकनीकी समिति की 25वीं बैठक 05.06.2020 को सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में हुई जिसमें परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति सहित भौतिक और वित्तीय प्रगति, सभी परियोजना भागीदारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार—विमर्श किया गया. बैठक में मंत्रालय, के.ज.आ., डीआरआईपी कार्यान्वयन एजेंसियों और डीआरआईपी के 10 अकादमिक भागीदारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

डीआरआईपी चरण—2 और चरण—3 के लिए ओडिशा डब्ल्यूआरडी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बैठक

डीआरआईपी चरण—2 और चरण—3 के लिए ओडिशा डब्ल्यूआरडी की संयुक्त रूप से समीक्षा करने हेतु ओडिशा डब्ल्यूआरडी के साथ एक आभासी बैठक 21.08.2020 को आयोजित की गई. बैठक में अतिरिक्त सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., प्रमुख सचिव, डब्ल्यूआरडी, ओडिशा सरकार, सीपीएमयू, एसपीएमयू, ओडब्ल्यूआरडी और विश्व बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया.

पश्चिम बंगाल डब्ल्यूआरडी के अधिकारियों के लिए 'धर्मा' पर आनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 28.08.2020 को 'धर्मा' पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई. प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य 'धर्मा' को एक संपत्ति प्रबंधन साधन के तौर पर प्रस्तुत करना था. इस प्रशिक्षण में पश्चिम बंगाल डब्ल्यूआरडी के 35 अभियंताओं ने भाग लिया.

प्रतिभागियों को हैंड्स ऑन सत्र के साथ—साथ 'धर्मा' के विभिन्न माडयूलों और साधनों से परिचित करवाया गया.

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन) की गवर्निंग बाडी की 67वीं बैठक

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की गवर्निंग बाडी की 67वीं बैठक श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 24.08.2020 को नई दिल्ली में हुई. इस बैठक में श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. और श्री एस.के. हलधर, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. ने गवर्निंग बाडी के सदस्यों के तौर पर प्रतिभागिता की. गवर्निंग बाडी ने वर्ष 2018—19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खाते को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने हेतु अनुमोदित किया. गवर्निंग बाडी ने अंतर—राज्यीय और अंतःराज्यीय नदी संयोजन हेतु विभिन्न डीपीआर, एफआर, पीएफआर पर प्रगति को भी नोट किया तथा एनडब्ल्यूडीए की विभिन्न प्रशासनिक व वित्तीय मामलों पर चर्चा की.

देश में बाढ़ की स्थिति

ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2020 से शुरू हुई 01.05.2020 से 31.08.2020 तक की अवधि के दौरान 7474 बाढ़ पूर्वानुमान (5844 स्तर एवं 1630 अंतर्वाह) जारी किए गए जिनमें से 6437 (5799 स्तर और 638 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 86.12 प्रतिशत की सटीकता प्रतिशत के साथ सटीकता सीमा के अंदर थे. 31 अगस्त तक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से अगस्त माह में चरम बाढ़ स्थिति हेतु 228 आरेंज बुलेटिन (तीव्र बाढ़ स्थिति) और 248 रेड बुलेटिन जारी किए गए.

अगस्त 2020 के दौरान आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर इंदिरा सागर (पोलावरम) बांध नामक एक नया बाढ़ पूर्वानुमान स्थल जोड़ा गया है.

01.05.2020 से 31.08.2020 तक बाढ़ की स्थिति का सार

चरम बाढ़ की स्थिति

01.05.2020 से 31.08.2020 के दौरान छह बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई. 3 स्टेशनों पर अगस्त 2020 में चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई.

क्र. सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि
1.	असम	शिवसागर	डिखो	शिवसागर	जुलाई
2.	बिहार	गोपालगंज	गंडक	डुमरिया घाट	जुलाई
3.		मुजफ्फरपुर	गंडक	रीवाघाट	जुलाई
4.		समस्तीपुर	बूढ़ीगंडक	रोसेरा	अगस्त
5.	ओडिशा	बालासोर	सुवर्णरेखा	मथानी रोड ब्रिज	अगस्त
6.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	सबारी	चिन्टुरू	अगस्त

इस अवधि के दौरान 26 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई.

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के लिए तीव्र बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्यों में 91 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर तीव्र बाढ़ की स्थिति देखी गई.

सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 28 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर की बाढ़ स्थिति देखी गई.

निर्धारित सीमा से ऊपर के अंतर्वाह वाले जलाशय

पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 75 जलाशयों पर उनकी निर्धारित सीमा से अधिक का अंतर्वाह प्राप्त हुआ.

अगस्त 2020 में चरम बाढ़ की स्थिति

जल क्षेत्र समाचार

- अरावली में वन्य प्राणियों की प्यास बुझाने के लिए बनी 60 लाख की योजना (द पायनियर, 01.08.2020)
- यमुना नदी के खादर में अनधिकृत निर्माण को लेकर जल मंत्रालय सख्त (राष्ट्रीय सहारा, 02.08.2020)
- बिहार के 14 जिलों के 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, तीन बांध टूटने से 12 लोगों की मौत (हरिभूमि, 03.08.2020)
- उष्णकटिबंधीय तूफान में बदला 'इसायस' (हरिभूमि, 05.08.2020)
- नदियों में एंटीबायोटिक के प्रभाव का होगा अध्ययन (द पायनियर, 07.08.2020)
- जयसमंद 30 फीसदी खाली, माही आधा भी नहीं भरा (राजस्थान पत्रिका, 08.08.2020)
- विश्व बैंक का भारत—पाक जल बंटवारा समझौते में मध्यस्थता से इंकार (पंजाब केसरी, 09.08.2020)
- सिंधु जल आयोग की बैठक पर भारत—पाकिस्तान में एक राय नहीं (जनसत्ता, 10.08.2020)
- बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री ने छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से डिजिटल बैठक की (द पायनियर, 11.08.2020)
- किन्नौर में बादल फटा, सतलुज का जलस्तर बढ़ा, नाथपा झाखड़ी में 8 घंटे बिजली उत्पादन बंद (पंजाब केसरी, 13.08.2020)
- बाढ़ की चपेट में आये 275 गांवों का सम्पर्क कटा (द पायनियर, 14.08.2020)
- गंगा का जल स्तर बढ़ने से गांवों में बाढ़ का खतरा (राष्ट्रीय सहारा, 14.08.2020)
- जल जीवन मिशन के तहत दो करोड़ परिवारों को उपलब्ध कराया पेयजल (राष्ट्रीय सहारा, 16.08.2020)
- सुकमा में नेशनल हाईवे डूबा, गांव बने टापू, गोदावरी—महानदी के किनारे अलर्ट (हरिभूमि, 18.08.2020)
- एनिकट, खेत और फार्म हाउसों में खोया बांध में पानी आने का रास्ता (राजस्थान पत्रिका, 19.08.2020)
- 36 घंटे की बारिश से 8 डैम फुल, गर्मी में पांच जिलों में नहीं होगा जलसंकट (दैनिक जागरण, 22.08.2020)
- बिहार की बाढ़ से अब तक 16 जिलों की 83.62 लाख आबादी प्रभावित (द पायनियर, 23.08.2020)
- देश का सबसे लंबा 1.8 किमी का रिवर रोपवे असम में शुरू, 24 किमी की दूरी कम होगी (दैनिक भास्कर, 25.08.2020)
- देश के पूर्वी, उत्तरी व मध्य हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान (द पायनियर, 26.08.2020
- राजस्थान के रेगिस्तान में तेल और गैस के बाद मिला पानी का भंडार (दैनिक जागरण, 27.08.2020)
- अगस्त में टूटा 44 साल का बारिश का रेकार्ड (जनसत्ता, 30.08.2020)
- गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नए कानून के मसौदे पर काम जारी (द पायनियर, 31.08.2020)

गुजरात में सीएमआईएस के लिए पीएमसी की बैठक

योजनाओं के विकास और तटीय सुरक्षा उपायों के लिए प्रासंगिक तटीय प्रक्रियाओं पर डेटा के संग्रह के महत्व को ध्यान में रखते हुए ''तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस)'' के सृजन हेतु 12वीं योजना (2012—17) की अवधि में एक नया घटक ''जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)'' स्कीम के अंतर्गत तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था.

सीएमआईएस के अंतर्गत प्रासंगिक तटीय प्रक्रियाओं के डेटा एकत्र करने के लिए भारत के समुद्री राज्यों के तट के किनारे साइटें स्थापित करने का प्रस्ताव है. इस कार्य में, उपयुक्त स्थलों विशेष रूप से कटावग्रस्त स्थलों की पहचान, एकत्र किए जाने वाले पैरामीटर को अंतिम रूप देना, अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद और स्थापना, रियल टाइम रिकार्डिंग और तटीय स्टेशन/साइट कार्यालय/डेटा प्रासेसिंग सेंटर की डेटा की रिपोर्टिंग, साइटों का प्रचालन और रखरखाव, वास्तविक डेटा को प्रसंस्करण, केंद्रीयकृत डेटा केंद्र हेतु सत्यापन और प्रसारण शामिल है.

सीएमआईएस को के.ज.आ. द्वारा लागू किया जाना है, हालांकि यह महसूस किया गया था कि एक त्रिपक्षीय एमओयू उचित विकल्प होगा जिसमें के.ज.आ. परियोजना कार्यान्वयनकर्ता होगी, एक विशेषज्ञ एजेंसी परियोजना निष्पादक होगी और संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार परियोजना के लिए सुविधा मुहैया करवाने का कार्य करेंगी. तब से विभिन्न त्रिपक्षीय एमओयू किए गए हैं. सीडब्ल्यूएंडपीआरएस को गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र राज्य के लिए परियोजना निष्पादक का कार्य सौंपा गया है. सीएमआईएस के अंतर्गत के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित मुख्य अभियंता के नेतृत्व में परियोजना प्रबोधन समिति(पीएमसी) गतिविधियों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है.

गुजरात और महाराष्ट्र में कार्यान्वित सीएमआईएस परियोजना की देखरेख के लिए गठित परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) की दूसरी बैठक श्री एम.पी. सिंह, मुख्य अभियंता, एमटीबीओ, के.ज.आ. और अध्यक्ष पीएमसी की अध्यक्षता में सीएमआईएस की प्रगति पर समीक्षा व चर्चा करने के लिए विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11.08.2020 को आयोजित की गई. श्री योकी विजय, अधीक्षण अभियंता(समन्वय), के.ज.आ., सदस्य सचिव, पीएमसी एवं डा. प्रभात चंद्रा, वैज्ञानिक 'ई', नोडल अधिकारी सीएमआईएस और अन्य सदस्य इसमें उपस्थित थे. नोडल अधिकारी, सीएमआईएस—सीडब्ल्यूपीआरएस द्वारा सीएमआईएस की प्रगति के बारे में प्रस्तुति दी गई और कार्यसूची की मदों के अनुसार चर्चा की गई.

इसके अलावा अधिकारियों ने 28.08.2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीडब्ल्यूपीआरएस द्वारा आयोजित गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की सीएमआईएस परियोजना पर प्रशिक्षण में भी भाग लिया.

माह के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियाँ

एनडब्ल्यूए, के.ज.आ., पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

क्रम सं.	कार्यक्रम का विषय	तारीख	स्थान	प्रतिभागी
1.	राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर एशियाई क्षेत्र (डब्ल्यूएमओ आरए—2) के लिए बेसिक जल विज्ञान पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम	27 जुलाई — 11 सितम्बर 2020	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली	डब्ल्यूएमओ द्वारा नामित जल संसाधन क्षेत्र एवं आर ए—2 क्षेत्रों में कार्य करने वाले 137 पेशवर अधिकारी
2.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम बैच 4	03—05 अगस्त 2020	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली	152 स्कूल शिक्षक और डीआइईटी संकाय
3.	जल मौसम संबंधी जिकल साइट के डेटा संग्रह पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उद्देश्य उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम	03—14 अगस्त 2020	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली	के.ज.आ. के 395 विभिन्न अधिकारी और स्टाफ
4.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम बैच 5	04—06 अगस्त 2020	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली	157 स्कूल शिक्षक और डीआइईटी संकाय
5.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम बैच 6	05—07 अगस्त 2020	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली	191 स्कूल शिक्षक और डीआइईटी संकाय
6.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम बैच 7	10—12 अगस्त 2020	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली	144 स्कूल शिक्षक और डीआइईटी संकाय
7.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम बैच 8	11—13 अगस्त 2020	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली	153 स्कूल शिक्षक और डीआइईटी संकाय
8.	जल विज्ञान परियोजना पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उद्देश्य उन्मुख प्रशिक्षण	17—28 अगस्त 2020	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली	राज्य, के.ज.आ., पीएसयू, निजी संगठनों से 57 अधिकारी
9.	सिंचाई परिसंपत्तियों के जीआईएस आधारित मानचित्रण पर उद्देश्य उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम	24—28 अगस्त 2020	दूरस्थ शिक्षा प्रणाली	राज्यों और के.ज.आ. से 45 अधिकारी

श्री एन.एन. राय, निदेशक हाइड्रोलोजी (दक्षिण) ने दो व्याख्यान दिए (क) एसपीएस/पीएमपी के ग्रिड प्वाइंट लोकेशन और पीएमपी एटलस से आवरली डिस्ट्रीब्यूशन गुणांक चयन तथा (ख) स्टार्म ट्रांसपोजिशन ए डिजाइन फ्लड एस्टीमेशन, सुश्री इसली ईसाक, उप निदेशक, हाईड्रोलॉजी (दक्षिण) ने 17 से 21 अगस्त 2020 के दौरान आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आनलाइन जूम प्लेटफार्म के माध्यम से ''डिजाइन फ्लड एस्टीमेशन फार गेज्ड एंड अनगेज्ड कैचमेंट युजिंग एफईआर'' पर व्याख्यान दिया.

निवेश अनुमति समिति की बैठक

ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जलशक्ति मंत्रालय की निवेश अनुमति समिति की 13वीं बैठक सचिव (ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि.) की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से 07.08.2020 को आयोजित हुई. बैठक में कुल 10 परियोजनाओं/योजनाओं पर विचार किया गया और विचार-विमर्श के बाद समिति ने निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए निवेश अनुमति की सिफारिश की;

क्र म. सं	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	परियोजना की श्रेणी	अनुमानित लागत रु. करोड़ (मूल्य स्तर)	लाभ
1	रेणुकाजी बांध परियोजना	हिमांचल प्रदेश	बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय परियोजना)	6946.99 (अक्टूबर, 2018)	पेयजल परियोजना
2	घुंगशी बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना की संशोधित लागत अनुमान (आरसीई)	महाराष्ट्र	आरसीई, मध्यम सिंचाई	498.46 (2016-17)	सीसीए- 6343 हे. वार्षिक सिंचाई - 6660 हे.
3	शेलगाँव बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना, संशोधित लागत अनुमान (आरसीई)	महाराष्ट्र	आरसीई, मध्यम सिंचाई	961.11 (2017-18)	सीसीए - 9589 हे. वार्षिक सिंचाई - 11318 हे.
4	वर्खेड़-लोंढे बैराज मध्यम परियोजना,	महाराष्ट्र	नई, मध्यम	526.65 (2016-17)	सीसीए - 9428 हे. वार्षिक सिंचाई - 7919 हे.
5	"धरमपुर निर्वाचन क्षेत्र, जिला मंडी (हि.प्र) में साक्रेन, मालथोड, शोधू, डोल और समौरखद के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य / क्षरण रोधी उपाय उपलब्ध कराना"	हिमांचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	145.73 (जून, 2019)	लाभान्वित क्षेत्र - 300 हे. लाभान्वित जनसँख्या - 3289
6	कांगड़ा जिला (हि.प्र) में रेंटा (आरडी 0) से सोर कलां ब्रिज (आरडी 30000) तक नेकेरखड और इसकी सहायक नदियों पर बाढ़ सुरक्षा / स्थिरीकरण कार्य उपलब्ध कराना	हिमांचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	231.02 (दिसम्बर, 2018)	लाभान्वित क्षेत्र - 274 हे. लाभान्वित जनसँख्या - 3678
7	तहसील पोंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि.प्र) में यमुना नदी और इसकी सहायक नदी पर बाढ़ और कटाव सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराना	हिमांचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	250.46 (अप्रैल, 2019)	लाभान्वित क्षेत्र - 480.13 हे. लाभान्वित जनसँख्या - 23485(जनगणना 2011)
8	तहसील सरकाघाट के बरछावार से जाहू पुल तक सीर खड्ड की बाढ़ सुरक्षा / चैनलाइज़ेशन	हिमांचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	157.66 (फरवरी 2018)	संरक्षित क्षेत्र 115 हे. लाभान्वित जनसँख्या 10000
9	तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और थुथुकुडी जिलों में तमिराबारानी, करुमेदियार और नाम्बियार नदियों को आपस में जोड़ते हुए कन्नैडियन चैनल से सथनकुलम, थिसययान्विलय सूखाग्रस्त क्षेत्र तक बाढ़ वाहक नहर का निर्माण	तमिलनाडु	वृहत सिंचाई	872.45 (2014-15)	एआई - 23040 हे.
10	टिक्करी से हाटकोटी, तहसील रोरहु, जिला शिमला तक पब्बर नदी का चैनलाइज़ेशन	हिमांचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	190.82 (2014)	संरक्षित क्षेत्र - 177 संरक्षित घर - 2000

बाढ़ / भूस्खलन के मद्देनजर आईएमसीटी का गठन

दक्षिण पश्चिम मानसून -2020 के दौरान बाढ़/भूस्खलन की स्थिति की मौके पर मूल्यांकन के लिए अगस्त माह में विभिन्न अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों का गठन किया गया था. आईएमसीटी का नेतृत्व गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिसमें कृषि, वित्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि.और ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रतिनिधित्व होता है. निम्नलिखित के.ज.आ. अधिकारियों को ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किया गया था.

क्रम सं.	राज्य	नामित अधिकारी	उद्देश्य
1.	असम	श्री सुधीर कुमार, निदेशक, के.ज.आ., गुवाहाटी	बाढ़/भूस्खलन
2.	अरुणाचल प्रदेश	श्री अभिषेक सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., शिलांग	बाढ़/भूस्खलन
3.	सिक्किम	श्री शिव प्रकाश, अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., गंगटोक	बाढ़/भूस्खलन
4.	बिहार	श्री संजीव कुमार सुमन, निदेशक, के.ज.आ., पटना	बाढ़
5.	कर्नाटक	श्री गुरु प्रसाद जे, अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., बेंगलुरु	बाढ़/भूस्खलन

माह के दौरान असम राज्य का दौरा किया गया. श्री संदीप पाउंड्रिक, आईएएस, संयुक्त सचिव, एनडीएमए के नेतृत्व में अन्य मंत्रालयों के सदस्यों वाली आईएमसीटी ने 26.08.2020 को अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ एक बैठक की. असम के विभिन्न जिलों में क्षति के आकलन के लिए आईएमसीटी को तीन टीमों में विभाजित किया गया था. श्री सुधीर कुमार, निदेशक, के.ज.आ., गुवाहाटी, जलशक्ति मंत्रालय और श्री अभिषेक अग्रवाल, सहायक कार्यकारी अभियंता, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम ने क्रमशः 27.08.2020 और 28.09.2020 को लखीमपुर और माजुली जिलों का दौरा किया.

हीराकुड बांध से अतिरिक्त बाढ़ को निकालने का विकल्प

हीराकुड बांध परियोजना, ओडिशा राज्य के शहर संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर प्रतिप्रवाह पर महानदी पर बनाई गई है. यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है और एशिया में सबसे लंबा मिट्टी का बांध है. यह मिट्टी, कंक्रीट और चिनाई संरचना का एक संयुक्त बांध है. मुख्य नदी के दाएँ व बाएं चैनल पर बांध में कुल दो स्पिलवे है. हीराकुड बांध के बाएं स्पिलवे में 40 स्लूइस फाटक और 21 शिखर (क्रेस्ट) फाटक हैं. दांऐ स्पिलवे में 24 स्लूइस फाटक और 13 शिखर फाटक हैं. दोनों स्पिलवे की कुल निस्सरण क्षमता 42450 क्यूमेक है. इस परियोजना को वर्ष 1957 में शुरू किया गया था. के.ज.आ. ने नये डाटा के साथ डिजाइन बाढ़ का पुन: आकलन किया और इस को 69,632 क्यूमेक निर्धारित किया है. 27182 क्यूमेक की अतिरिक्त बाढ़ को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए दो अतिरिक्त स्पिलवे जिसमें पहला गाँधी हिलाक के दूसरे सैडल के पास बायें किनारे के पहले गैप डाइक पर 9122 क्यूमेक निस्सरण के लिए 5 स्पिलवे फाटक 15 मीटर X 15 मीटर आकार के और एक अतिरिक्त स्पिलवे, दाएँ तटबंध पर 8 स्पिलवे फाटकों के साथ उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है.

हालांकि, आर एंड आर और अन्य समस्याओं के कारण दाँए किनारे की तरफ का विकल्प उपयुक्त नहीं पाया गया. तदनुसार, 26.08.2020 को संभावित उपायों पर चर्चा करने के लिए सदस्य(डीएंडआर) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. परियोजना प्राधिकारियों ने अतिरिक्त बाढ़ को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए तीन अलग—अलग विकल्पों का प्रस्ताव दिया है. बैठक में इन तीन विकल्पों पर चर्चा हुई.

श्रमदान के माध्यम से एनईआईडी—1, के.ज.आ., सिल्चर में निर्मित वर्षा जल संचयन/भूजल पुनर्भरण तालाब

बी एंड बीबीओ, के.ज.आ., शिलांग के अंतर्गत एनईआईडी—1, के.ज.आ., सिल्चर के कार्यालय सह आवासीय परिसर में वर्षा जल संचयन सह भूजल पुनर्भरण तालाब बनाया गया है. जलाशय का निर्माण एनईआईडी—1, सिल्चर के अधिकारियों/स्टाफ तथा उनके परिवारजनों के श्रमदान द्वारा किया गया है.

वर्ष 2018—19 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्षेत्र व जंगल को साफ किया गया. इस विचार के साथ कि सरकारी संगठन के साथ—साथ व्यक्तिगत तौर पर धरती की सतह पर गिरने वाले पानी की एक—एक बूंद का संचयन, और भूजल के पुनर्भरण करने हेतु एक तालाब खोदकर वर्षा जल संचयन कर इस क्षेत्र का उपयोग करने के लिए एनईआईडी—1, के.ज.आ. के अधिकारी और स्टाफ ने जिम्मेदारी ली.

कोविड—19 (मार्च से अप्रैल 2020) की लाक—डाउन अवधि के दौरान कालोनी परिसर के निवासियों (अधिकारियों, स्टाफ व उनके परिवारजनों) ने एक तालाब खोदने के नेक कार्य हेतु 15 से 20 लोगों ने 40 से 45 दिनों तक 2.5 मीटर की औसत गहराई के साथ लगभग 250 वर्गमीटर के एक क्षेत्र में तालाब को खोदने के लिए प्रतिदिन

औसतन 3 घंटे का श्रमदान किया. तालाब की परिधि को पुराने जी.आई.पाइप की बाड़ लगाकर सुरक्षित किया गया है.

तालाब के पहली बार भरने पर कर्मचारी और अधिकारीगण ने अपने समर्पित प्रयास के परिणामों को देखकर उत्साहित हुए और यह निर्णय लिया कि इस पानी का उपयोग समुदाय हेतु मछली उत्पादन के लिए होगा.

अंश सिंचाई नहर, राजौरी, जम्मू व कश्मीर का प्रबोधन दौरा

श्री राकेश गुप्ता, उप निदेशक, श्री गोविंदर सिंह, स.नि.—2 ने राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 27.08.2020 को राजौरी में अंश सिंचाई नहर की प्रगति की जांच की. अंश सिंचाई नहर पीएमकेएसवाई—एआईबीपी—एचकेकेपी के अंतर्गत शामिल 158 एसएमआई योजना के कलस्टर में एक चल रही स्वीकृत एमआई योजना है. इस योजना की अनुमानित लागत रु. 53.99 करोड़ है. इस परियोजना घटक में 6933 मीटर की एक मुख्य नहर का निर्माण, 1386 मीटर की लंबाई वाली सुरंग और 43120 मीटर की कुल लंबाई वाले 4 वितरिका शामिल हैं. परियोजना का कृष्य कमान क्षेत्र (सीसीए) लगभग 2000 हैक्टेयर है और इससे 6000 किसानों को लाभ होगा. अब तक अंश सिंचाई नहर पर किया गया व्यय रु. 8.4928 करोड़ अर्थात अनुमोदित लागत का 15.73 प्रतिशत और संशोधित लागत का 9.92 प्रतिशत है.

उझ बहुउद्देशीय परियोजना की दूसरी सार्वजनिक सुनवाई

जम्मू—कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के जिला कठुआ में स्थित उझ बहुउद्देशीय परियोजना, रावी नदी जो सिंधु बेसिन प्रणाली की तीन पूर्वी नदियों में से एक है, की सहायक नदी उझ के पानी का उपयोग करने के लिए परिकल्पित की गई है. भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार, भारत को पूर्वी नदियों नामत: सतलज, रावी और व्यास के सम्पूर्ण जल के अप्रतिबंधित उपयोग का अधिकार है. इसलिए उझ बहुउद्देशीय परियोजना, रावी जल के इष्टतम उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है और तदनुसार, इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया.

परियोजना में 116 मीटर ऊंचाई वाले कंक्रीट फेस मृदा—शैल बांध, नहर प्रणाली 186 मे.वा. क्षमता के मेन पावर हाउस और 10 मे.वा. क्षमता वाले डैम टो पावर हाऊस के निर्माण की परिकल्पना की गई है. इस परियोजना की अनुमानित लागत रु. 9167 करोड़ (दिसम्बर, 2019 के मूल्य स्तर पर) है. इस परियोजना में 40716 हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र और 76929 हेक्टेयर का वार्षिक सिंचाई क्षेत्र है. उझ एमपीपी की शुरुआती विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), के.ज.आ., जम्मू द्वारा तैयार की गई थी.

श्री रवि रंजन, निदेशक, जम्मू व कश्मीर के साम्बा जिले के जटवाल गांव में जम्मू व कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित, उझ बहुउद्देशीय परियोजना (196 मे.वा.) की दूसरी जन सुनवाई में 26.08.2020 को शामिल हुए. उझ बहुउद्देशीय परियोजना के लाभों पर जल सुनवाई समिति और सांबा जिले के जनप्रतिनिधियों को एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई. डीपीआर को बनाने में के.ज.आ. के प्रयासों की यथोचित सराहना की गई.

शोंगटोंग—करछम जल विद्युत परियोजना (450 मे.वा.), हिमाचल प्रदेश

शोंगटोंग—करछम जल विद्युत परियोजना (एमकेएचईपी), हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलज नदी पर स्थित है. इस परियोजना की परिकल्पना एक रन—आफ—रिवर योजना के रूप में की गई है जिसकी क्षमता 450 मे.वा. है और इसे मैसर्स एचपीपीसीएल द्वारा विकसित किया जा रहा है. एसकेएचइपी के लिए सिविल निर्माण कार्य चल रहा है और अग्रिम चरण में है. हालांकि बैराज क्षेत्र में दाहिने किनारे के ढलान मे अस्थिरता देखी गई है जिसके कारण केएफडब्ल्यू (एक जर्मन बैंक) द्वारा वित्तपोषण को स्थगित कर दिया गया.

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार और परियोजना प्राधिकारी के अनुरोध पर के.ज.आ. इस परियोजना के बैराज के दाहिने किनारे के ढलान स्थिरीकरण की संकल्पना डिजाइन के पुनरीक्षण के लिए सहमति व्यक्ति की है जिसका अध्ययन मैसर्स एएफ कंसलटेंट द्वारा किया जा रहा है.

इस जटिल मुद्दे से निपटने के लिए, के.ज.आ., मैसर्स एचपीपीसीएल को अपनी विशेषज्ञ सलाह दे रहा है. इसमें बायें किनारे के ढलान में अस्थिरता के लोड को बैराज के द्वारा ही

वहन किया जाएगा एवं किसी अन्य बचे लोड को दायें किनारे पर प्रस्तावित कम्प्रेसिबल लेयर द्वारा वहन किया जाएगा.

अब, एएफ कंसल्टेंट्स ने पूर्व में प्रस्तुत, प्रारंभिक और डिजाइन विसर्पण दर, रिपोर्ट के आधार पर संकल्पना डिजाइन रिपोर्ट (मसौदा) प्रस्तुत कर दी है और उस पर के.ज.आ. की टिप्पणियों से अवगत करा दिया गया है. मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 21.08.2020 को के.ज.आ. में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें के.ज.आ. की डिजाइन (एनएंडडब्ल्यू) यूनिट के अधिकारीगण और मैसर्स एचपीपीसीएल की तरफ से मैसर्स एएफ कंसल्टेंट्स की डिजाइन टीम ने भाग लिया.

मुल्ला पेरियार रुल कर्व

कावेरी टैक्निकल सेल (सीटीसी), तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार किए गए रुल कर्व में अपनाई गई कार्यप्रणाली पर के.ज.आ. के तकनीकी अवलोकन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक श्री गुलशन राज (मुख्य अभियंता, डीएसओ व पदेन अध्यक्ष, मुल्लापेरियार बांध पर पर्यवेक्षी समिति) की अध्यक्षता में 19.08.2020 को वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित की गई. इस बैठक में श्री आर. सुब्रामनियम (अध्यक्ष, सीटीसी), श्री ऋषि श्रीवास्तव, (रिमोट सेंसिंग निदेशालय), श्री एन.एन. राय (निदेशक, हाइड्रोलोजी (एस) निदेशालय), अमित कुमार झा (निदेशक, डीएसएम निदेशालय) और के.ज.आ. व सीटीसी के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.के.ज.आ. की ओर से रुल कर्व की जांच श्री ऋषि श्रीवास्तव श्री एन.एन. राय द्वारा की गई.

मुल्ला पेरियार बांध के रुल कर्व के डेटा और तैयारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की

गई. यह तय किया गया कि कावेरी टेक्निकल सेल (सीटीसी), तमिलनाडु सरकार क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ परामर्श के बाद डेटा की फिर से पुष्टि करेगा और अपनाई गई कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगा.

पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश

यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो आंध्र प्रदेश, पश्चिम गोदावरी जिले में पोलावरम, राम्यपेटा के पास गोदावरी नदी पर सर आर्थर काटन बैराज के 42 किमी प्रति प्रवाह पर स्थित है. परियोजना में 960 मे.वा. जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, विशाखापटनम में उद्योगों को पेयजल आपूर्ति और गांवों व कस्बों के लिए जल आपूर्ति के साथ बांयी मुख्य नहर के अंतर्गत विशाखापटनम, पूर्वी गोदावरी जिलों में 4.0 लाख एकड़ व दांयी मुख्य नहर के अंतर्गत कृष्णा व पश्चिमी गोदावरी जिलों में 3.2 लाख एकड़ हेतु सिंचाई लाभ की परिकल्पना की गई है. इसके अलावा अल्पता काल (तीन पीरियड) में मौजूदा सर आर्थर काटन बैराज के अनुप्रवाह में भंडारित 15 टीएमसी पानी छोड़ने और दाँयी मुख्य नहर के माध्यम से कृष्णा नदी में डायवर्जन किए जाने के लिए 80 टीएमसी भंडारित पानी छोड़ने का प्रस्ताव है.

परियोजना के घटकों में शामिल हैं :

1. नदी के बाँए किनारे पर गैप 1 में मृदा बाँध
2. गोदावरी नदी के मुख्य प्रवाह चैनल में स्थित गैप 2 में मृदा शैल बाँध
3. दाहिनी किनारे पर स्थित गैप 3 में मृदा बांध.
4. अनुप्रवाह में 15 टीएमसी पानी छोड़ने के लिए ओएफ ब्लाकों में और 10 नदी स्लूईस सहित दांए किनारे पर स्थित ओगी प्रकार का कंक्रीट स्पिलवे उपागम वाहिका (एप्रोच चैनल) व उत्प्लाव वाहिका (स्पिल चैनल).

अगस्त 2020 के दौरान, परियोजना के विभिन्न घटकों के निम्नलिखित आरेखणों का पुनरीक्षण किया गया और निर्माण के लिए जारी किया गया :

क. स्पिलवे में +52.0 मीटर से ऊपर तक, नींव स्तर, +10.00 मीटर वाले (ब्लाक सं. 3, 4, 5, 15 से 19 तक और 38 से 49 तक) सामान्य स्तंभ (5.50 मीटर मोटा) से संबंधित 3 आरेखण.

ख. की ब्लाकों 0 एवं 52 सहित बांध के ऊपर तक स्टॉप लोग गेट भंडारण सहित एनओएफ ब्लाक सं. 1 एवं 51 से संबंधित 7 आरेखण.

ग. स्पिलवे में +52.0 मीटर से ऊपर तक नींव स्तर +10.00 मीटर (ब्लाक 5 से 14 तक) वाले नदी स्लूईस स्तंभ (6.50 मीटर मोटा) से संबंधित 6 आरेखण

घ. स्पिलवे में +52.0 मीटर से ऊपर तक, नीव स्तर +10.00 मीटर वाले 5.50 मोटे स्पिलवे राइट एबटमेंट स्तम्भ (ब्लाक सं 50) से संबंधित 5 आरेखण

ड. स्पिलवे में ईएल+52.0 मीटर से ऊपर तक नींव स्तर -9.25 मीटर और -18.50 मीटर (ब्लाक सं 19 से 25 और 27 से 34 तक) वाले सामान्य स्तंभ (5.50 मोटे) से संबंधित 6 आरेखण.

च. स्पिल्वे ब्रिज के डेक स्लैब से संबंधित 1 आरेखण.

इतिहास - तुंगभद्रा परियोजना

तुंगभद्रा नदी का नाम दो धाराओं नामत: लगभग 147 किमी लंबी तुंगा और लगभग 178 किमी लंबी भद्रा से मिलकर बना है जो पश्चिमी घाटों से निकलती है. यह नदी शिमोगा के पास दो नदियों के संगम के बाद आंध्र प्रदेश में संगमलेश्वरम में कृष्णा नदी में मिलने से पहले लगभग 531 किलोमीटर बहती है.

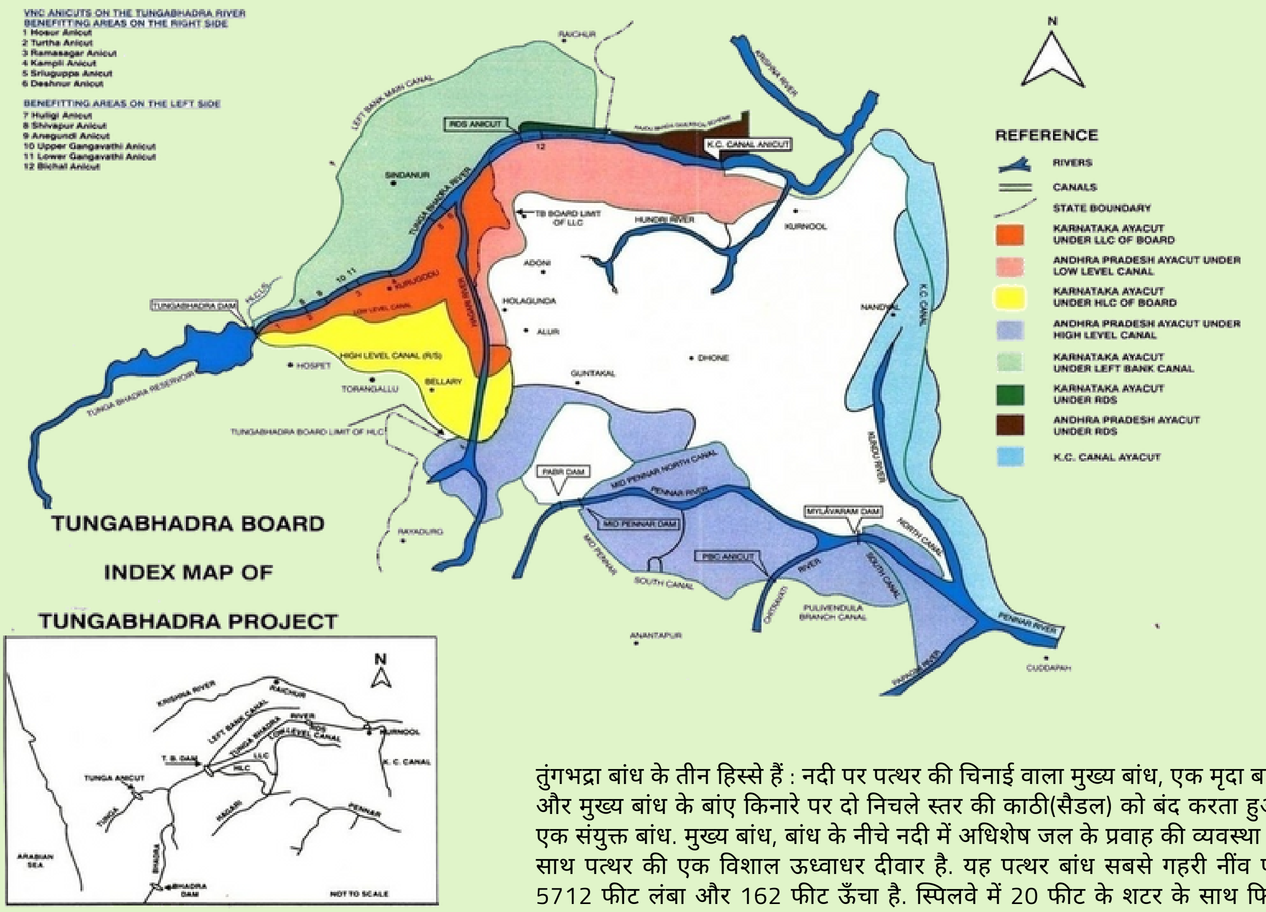

रायलसीमा के अक्सर अकालग्रस्त क्षेत्र, जिसमें बेल्लारी, अनातापुर, करनुल और कडप्पा जिले शामिल हैं, ने 1860 की शुरूआत में ब्रिटिश इंजीनियरों का ध्यान आकर्षित किया था. इन जिलों में अकाल की तीव्रता को दूर करने के लिए 1860 में तुंगभद्रा के पानी के लिए प्रस्ताव बनाए गए थे ताकि एक भंडारण जलाशय और नहरों की एक प्रणाली के माध्यम से भूमि हेतु सिंचाई उपलब्ध कराई जा सके.

सर आर्थर काटन ने मूल रूप से वर्ष 1860 में तुंगभद्रा परियोजना की कल्पना की थी. प्रस्तावों को बाद में संशोधित किया गया और बाद में इसे हैदराबाद के साथ एक संयुक्त योजना में विकसित किया गया. कई वर्षों तक लंबी बातचीत और अन्वेषणों का सिलसिला चलता रहा. मद्रास और हैदराबाद के बीच जून 1944 के समझौते ने सरकारों के लिए अंतत: तुंगभद्रा परियोजना का निर्माण शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया.

तुंगभद्रा परियोजना का औपचारिक उद्घाटन बाईं ओर ''बेरार के राजकुमार'' और दाईं ओर ''सर आर्थर होप'' मद्रास के गवर्नर द्वारा 28.02.1945 को शिलान्यास से किया गया. हालांकि जनवरी 1949 तक बहुत अधिक कार्य नहीं किया जा सका. कुछ तकनीकी मामलों में मतभेद और हैदराबाद के राजनीतिक हालात धीमी प्रगति के कारण थे. इन मतभेदों को श्री एम. विश्वेश्वरैया, राजनेता व इंजीनियर की अध्यक्षता में एक अभियंता बोर्ड को भेजा गया, जिन्होंने अपने दीवान के कार्यकाल के दौरान कई योजनाएं शुरू की और वे उनकी दूरदर्शिता और सरलता के लिए मैसूर के लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे.

इसके बाद, कार्यों को पूरी गति से फिर से शुरू किया गया और आंशित लाभ प्राप्त करने के लिए 01.07.1953 को नहर में पानी का प्रवाह शुरू हुआ. बांध द्वारा निर्मित जलाशय 133 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फिट) जल को संग्रहित कर सकता है और 1953 में पहली बार इसका भंडारण किया गया. बांध, स्पिलवे, बांध के ऊपर पुल सड़क, यूटिलिटी टावर का निर्माण, 1633 फीट के स्तर तक पानी के भंडारण के लिए शिखर गेटों का निर्माण जून 1958 के अंत तक पूरा हो गया था. बांध और संबंधित कार्यों की लागत रु 16.96 करोड़ थी. तुंगभद्रा परियोजना का निर्माण आखिरकार दांए किनारे के उच्च स्तर नहर के पूर्ण होने के साथ 1970 में पूरा हुआ.

इस परियोजना में मल्लपुरम में तुंगभद्रा नदी पर एक बांध है जिसमें प्रत्येक तरफ एक मुख्य नहर चल रही है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए दाईं ओर कुल 72 मे.वा. की संस्थापित क्षमता वाले दो स्टेशन और बाईं ओर कुल 104.5 मे.वा. की संस्थापित क्षमता वाले चार स्टेशन है. परियोजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए कुल क्षेत्रफल 4.9 लाख हेक्टेयर है. तुंगभद्रा जलाशय के पानी की सहायता से अन्य योजनाओं को भी लाभान्वित किया जाता है.

तुंगभद्रा बांध के तीन हिस्से हैं : नदी पर पत्थर की चिनाई वाला मुख्य बांध, एक मृदा बांध और मुख्य बांध के बांए किनारे पर दो निचले स्तर की काठी(सैडल) को बंद करता हुआ एक संयुक्त बांध. मुख्य बांध, बांध के नीचे नदी में अधिशेष जल के प्रवाह की व्यवस्था के साथ पत्थर की एक विशाल ऊध्वाधर दीवार है. यह पत्थर बांध सबसे गहरी नींव पर 5712 फीट लंबा और 162 फीट ऊँचा है. स्पिलवे में 20 फीट के शटर के साथ फिट होने के लिए 60 फीट के 33 वेंट्स हैं. बाढ़ में नदियाँ, लगभग 90 फीट की ऊँचाई पर स्पिलवे से गिरने के साथ टकराने के बाद पानी के झाग और बिखरते छिड़काव के साथ चमकदार कुहासे का निर्माण करती है जिसका भव्य नजारा देखने लायक होता है. रात के सन्नाटे में मीलों दूर से गिरते हुए जल की गर्जना सुनी जा सकती है. बांध के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला (मोर्टार) स्पिलवे सेक्शन और स्लुइस में लाल सीमेंट मसाला है और अन्य जगहों पर चूना—सुरखी मसाला है.

बांध के ऊपर 22 फीट चौड़ा एक सड़क मार्ग है जो मैसूर (अब कर्नाटक) और हैदराबाद (अब तेलंगाना) के बीच एक महत्वपूर्ण राजमार्ग लिंक के रूप में कार्य करता है. इसका निर्माण पास में उपलब्ध कठोर ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है. बांध में एक सुरंग का निर्माण किया गया है जिसे ड्रेनेज गैलरी के रूप में जाना जाता है जो बांध के अंतिम भाग को छोड़कर साथ साथ चलती है और बांध के अंदरूनी भाग का निरीक्षण और सीपेज वाले पानी को इकट्ठा करने की सुविधा देने के लिए है. निर्माण के विस्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस प्रमुख संरचना के लिए लगभग 32 मिलियन घन (क्यूबिक) फीट पत्थर,12 मिलियन घन फीट रेत, 3 मिलियन घन फीट चूना, 3.5 मिलियन घन फीट सुरखी, 2 मिलियन घन फीट सीमेंट और 4,000 टन स्टील का उपयोग किया गया है.

तुंगभद्रा बोर्ड

दिनांक 01.10.1953 को आंध्र राज्य के सृजन के साथ, यह परियोजना तीन सरकारों नामत: आंध्र, मैसूर और हैदराबाद की जिम्मेदारी बन गई. तुंगभद्रा बोर्ड का गठन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा तुंगभद्रा परियोजना और उसके संचालन और रखरखाव को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 की धारा 66, उप—खंड (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से किया गया. 01.11.1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह दो सरकारों नामत: आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का विषय बन गया. 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद बोर्ड में नए राज्य तेलंगाना का भी प्रतिनिधित्व किया गया. वर्तमान में मुख्य अभियंता, केजीबीओ, के.ज.आ. बोर्ड के अध्यक्ष हैं. तुंगभद्रा बोर्ड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के साझे कार्यों के रखरखाव तुंगभद्रा जलाशय के संचालन के लिए कार्य तालिका तैयार करने और जल लेखांकन के लिए जिम्मेदार है. यह जल विद्युत उत्पादन और मत्स्य विकास के लिए भी जिम्मेदार है.

यह परियोजना जल संसाधन परियोजना के विकास और प्रबंधन के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग का एक सफल उदाहरण है.

एसआरएस (सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग) का उपयोग करके गुजरात के वात्रक जलाशय के तलछट अवसादन अध्ययन का निष्कर्ष

गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में साबरकांठा जिले में वात्रक नदी पर वात्रक जलाशय स्थित है. वात्रक नदी गुजरात की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जिसका कुल जलग्रहण क्षेत्र 1113.7 वर्ग किलोमीटर है. वात्रक नदी का उद्गम स्थल दक्षिणी राजस्थान में अरावली पहाड़ियों में है और साबरमती नदी के संगम से पहले 178.63 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है.

इस परियोजना में पहाड़िया गांव के पास वात्रक नदी पर एक मृदा भंडारण बांध शामिल है. इस परियोजना का कार्य 1984 में पूर्ण किया गया. बांध से शुरू होने वाली नदी के दोनों किनारों पर स्थित नहर प्रणाली में 23.54 किलोमीटर की लंबाई की जीआरबीसी 3258 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने और 7.64 किमी की लंबाई की जीएलबीसी, जिसमें 19.05 किमी और 16.74 किमी लम्बाई की दो शाखाएं हैं, 15103 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है.

विश्लेषण की विधि

कोपरनिकस हब से अलग—अलग एलिवेशन पर विभिन्न तिथियों के लिए उपग्रह से चित्र डाउनलोड किए गए थे. फिर स्नैप प्रोसेसिंग साफ्टवेयर का उपयोग करके चित्रों को संसाधित किया गया. विभिन्न चित्रों में जलाशयों के जल प्रसार क्षेत्रों की गणना, आर्क जीआइएस का उपयोग करके की गई. इसके उपरांत, एरिया एलिवेशन कर्व का उपयोग करते हुए विभिन्न अंतरालों पर जलाशय के लिए सक्रिय क्षमता की गणना की गई.

	मूल सर्वेक्षण (1984)	एसआरएस (1999)	एसआरएस (2019)
एफआरएल 136.25 मीटर पर सक्रिय क्षमता (एमसीएम)	154.35	134.79	123.15
क्षमता में नुकसान (एमसीएम)	-	19.56	31.20
सक्रिय क्षमता नुकसान प्रतिशत (वर्ष 1984 से)	-	12.67%	20.21%

अध्ययन के परिणाम

- वर्ष 2019 में वात्रक जलाशय, गुजरात की सक्रिय क्षमता 123.15 एमसीएम पाई गई.
- वर्ष 1984 से 2019 के दौरान 35 वर्षों की अवधि में 31.20 एमसीएम (अर्थात 20.21 प्रतिशत) सक्रिय भंडारण क्षमता का नुकसान देखा गया. वर्ष 1984 से प्रति वर्ष 0.578 प्रतिशत की सक्रिय भंडारण क्षमता का नुकसान होता है.

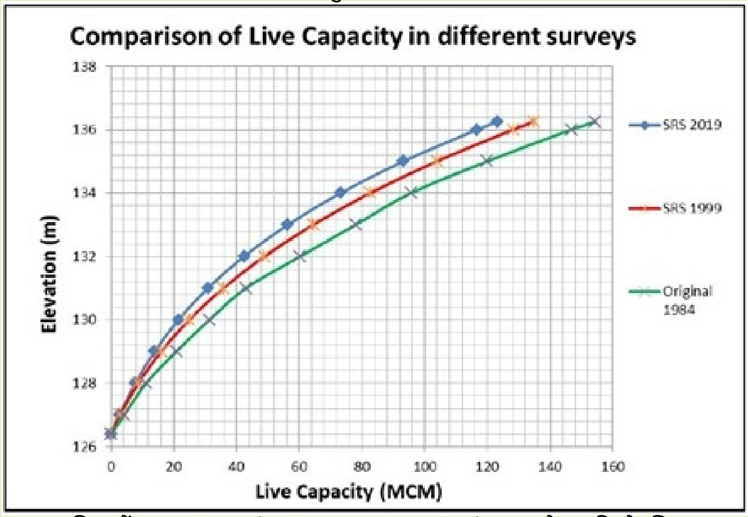

राज्यों से समाचार

इजरायल और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत—इजरायल बुंदेलखंड जल परियोजना की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश की जल चुनौतियों के अनुरूप जल प्रबंधन के लिए इजरायली माडल को प्रदर्शित और कार्यान्वित करना है. इस परियोजना में कृषि हेतु तीन प्रमुख घटक शामिल हैं नामत: जल संरक्षण, कुशल जल स्थानांतरण और कृषि के लिए उन्नत जल प्रक्रियाएं.

https://embassies.gov.il/delhi/NewsAndEvents/Pages/Israel%20Signs%20Agreement%20on%20Water%20Cooperation%20with%20the%20Government%20of%20Uttar%20Pradesh.aspx#p

जल क्षेत्र — मिथक एवं तथ्य

मिथक : विशेषज्ञों ने जल्द ही देश में कई नदियों के सूखने की भविष्यवाणी की है.

तथ्य : देश में दो प्रकार की नदियाँ हैं (1) बारहमासी नदियाँ और (2) गैर—बारहमासी नदियाँ. बाहरमासी नदियों में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध रहता है, जबकि गैर—बारहमासी नदियां वर्षा पर आधारित होती हैंजिनमें केवल वर्षा की अवधि में पानी बहता है. नदियों में प्रवाह गतिशील है और यह कई मापदंडों पर निर्भर करता है जैसे वर्षा, कैचमेंट में इसकी वितरण और तीव्रता, कैचमेंट की विशेषताएं और बेसिन में जल निकासी व उपयोगिता. केंद्रीय जल आयोग, देश की महत्वपूर्ण नदियों की निगरानी करता है. महत्वपूर्ण नदियों के अंतिम स्थलों के पिछले 20 वर्षों के वार्षिक औसत प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, कुल जल उपलब्धता में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि/घटती प्रवृति नहीं देखी गई है.

दीर्घा — स्वतंत्रता दिवस समारोह

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री पंकज कुमार शर्मा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) एवं निदेशक(जप्रअ)- सदस्य
- श्री अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक(आईएसएम-2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in